सत्यमेव जयते

राजस्थान राजपत्र विशेषांक	RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary
साधिकार प्रकाशित	Published by Authority

पौष 27, शुक्रवार, *शाके 1946*- जनवरी 17, 2025
Pausa 27, Friday, Saka 1946- January 17, 2025

भाग-1(ख)

महत्वपूर्ण सरकारी आज्ञायें।

सार्वजनिक निर्माण विभाग (खण्ड-बून्दी)

अधिसूचना

बून्दी, जनवरी 08, 2025

[अन्तर्गत भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 4 (1)]

RAJKAJ 12866695 :-राजस्थान के राज्यपाल महोदय द्वारा भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 4 की उपधारा (1) एवं राजस्थान भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार नियम 2016 के प्रावधानानुसार एवं राजस्थान सरकार के राजस्व (ग्रुप-6) विभाग के परिपत्र क्रमांक प.1(150) राज-6/2016/02 दिनांक 27.01.2017 के निर्देशानुसार **बून्दी जिले की रायथल तहसील में मांगली नदी (एमडीआर-355) पर लालपुरा से बागदा तक उच्च स्तरीय पुल निर्माण कार्य** प्रयोजनार्थ निम्नानुसार प्रभावित गांवों में भूमि अर्जन किया जाना प्रस्तावित हैं।

क्र.सं.	जिला	तहसील	गांव	क्षेत्रफल (हेक्टेयर)
1	बून्दी	रायथल	लालपुरा	1.43
2	बून्दी	रायथल	बागदा	2.15

परियोजना हेतु नियमानुसार सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन हेतु सार्वजनिक निर्माण विभाग, खण्ड़-बून्दी द्वारा **"वंश कंसलटेन्सी, वार्ड नं. 15, नीमकाथाना, (राज) 332713"** एजेन्सी का चयन किया गया हैं। उपरोक्त चयनित संस्था द्वारा परियोजना हेतु प्रस्तावित भू-अर्जन से प्रभावित गांवों में सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन राजस्थान भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार नियम 2016 के प्रावधानानुसार किया जायेगा। सामाजिक समाघात निर्धारण की प्रक्रिया निम्नानुसार होगी:-

1. संस्था द्वारा परियोजना हेतु प्रस्तावित भू-अर्जन से प्रभावित व्यक्तियों का विवरण तैयार कर सामाजिक समाघात निर्धारण की प्रारूप रिपोर्ट तैयार की जावेगी।
2. प्रारूप रिपोर्ट की प्रति प्रभावित गांवों में समुचित स्थान पर प्रदर्शित की जावेगी। तत्पश्चात् प्रभावित गांवों में पर्याप्त प्रचार-प्रसार के उपरान्त जनसुनवाई की जावेगी, जिसका कार्यवाही विवरण समुचित रूप से रिकार्ड किया जावेगा।
3. जनसुनवाई के दौरान आये सुझावों/आपत्तियों के समुचित समाधान को शामिल कर सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट एवं सामाजिक समाघात प्रबन्ध योजना रिपोर्ट तैयार की जावेगी।

4. सामाजिक समाघात निर्धारण की प्रक्रिया प्रभावित गांवों में सम्बन्धित पंचायत/नगरपालिका के परामर्श से की जावेगी।
5. सामाजिक समाघात मूल्याकंन के दौरान किसी भी प्रकार के बल प्रयोग या धमकी का प्रयत्न इस कवायद को अकृत और शुन्य बना देगा।
6. सामाजिक समाघात निर्धारण प्रक्रिया को इस अधिसूचना की तिथि से अधिकतम 6 माह की अवधि से पूर्व सम्पूर्ण कराया जाना आवश्यक है।

सम्पर्क सूत्र:-

सामाजिक समाघात निर्धारण इकाई

कार्यालय अधिशाषी अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग,

खण्ड-बून्दी, जिला-बून्दी 323001 (राजस्थान)

फोन नं. 9414175577

ई-मेलः pwd_bundi@rediffmail.com

सामाजिक समाघात निर्धारण एजेन्सी

वंश कंसलटेन्सी,

प्रतिनिधि: अमित कुमार, मोबाईलः 9694916630

कार्यालयः वार्ड नं. 15, नीमकाथाना, (राज) 332713

ई-मेलः vanshconsultancy26@gmail.com

आदेश द्वारा,

आर.के. लूथरा,

संयुक्त सचिव (पथ),

सा.नि.विभाग, राजस्थान जयपूर।

राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर।